रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092022-238561
CG-DL-E-02092022-238561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3958] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944
No. 3958] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2022

का.आ. 4134(अ).—यतः, मैः कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (अब मैः अश्दान टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता हैं) ने महाराष्ट्र राज्य के हिन्जेवाड़ी, पुणे में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एंव सॉफ्टवेर सहित सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 2874 (अ) दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 के तहत् उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.968 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मैः कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (अब मैः अश्दान टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता हैं) ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.968 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके पत्र स. एसईजेड-2018/सीआर-148/इन्ड-2 दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत् प्रस्ताव को अनापत्ती प्रमाण पत्र दे दिया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार अपने अधिसूचना दिनांक 30.03.2019 के माध्यम से प्रख्यापित एकीकृत टाउनशिप नीति के तहत भूमि को एकीकृत टाउनशिप परियोजना के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव करती है;

और यत:, विकास आयुक्त, सीप्ज़ विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.968 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की हैं;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक ज़ोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किये गए कार्यों या किये जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद् करती है।

[फा. सं. एफ.2/303/2006-ईपीजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2022

S.O. 4134(E).—WHEREAS, M/s. Kumar Builders Township Ventures Pvt. Ltd. (now known as M/s. Ashdan Township Ventures Pvt. Ltd.) had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Electronic Hardware and Software including Information Technology and Information Technology enabled Services at Hinjewadi, Pune in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, notified an area of 10.968 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Gazette Notification Number S.O. 2874 (E) dated 12th December, 2008;

AND, WHEREAS, M/s. Kumar Builders Township Ventures Pvt. Ltd. (now known as M/s. Ashdan Township Ventures Pvt. Ltd.) has now proposed to de-notify the entire area of 10.968 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Government of Maharashtra has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. SEZ-2018/CR-148/Ind-2 dated 31st March, 2022. Further, the Government of Maharashtra propose to develop the land as Integrated Township Project under their Integrated Township Policy promulgated vide Notification dated 30.03.2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 10.968 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/303/2006-EPZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.02 22:23:01 +05'30'